क्र.सं. | दुलमचन्द v/s रविन्द्र कोठ
प्रार्थना-पत्र 212 R.T. Act

स्थगित रखा है। अधिवक्ता श्री द्वारा प्रार्थना-पत्र रजीनामा बाबत पेश किया, जो P.O लाने के लिए पेश होने पत्रावली दिनांक 25/11/22 को पेश है।

25/11/22 दुलमचन्द

पत्रावली आज पेश हुई। वादी दुलमचन्द उपस्थित। वादी ने दिनांक 21.11.22 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पुत्रों के पश्चात के मध्य लोक अदालत में मामला में प्राप्ति होने रजीनामा हो गया है। अब श्री स्थगन प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना-पत्र पर श्री मूल गया। श्री ने अपने जवाब में आपत्ति तथा इंकार किया। इसलिए उनके प्रार्थना-पत्र अभिवचनों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित खाने होने दर्ज रजिस्टर के बाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोठड़ूतावली (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested